वर्ष 1995	संस्थानों का नाम	क्षेत्र	दर प्रति एकड़
1996			
1.	रोहिणी एजुकेशन सोसायटी	800 वर्ग मी०	अस्थायी
2.	बुपलिस्ट एजुकेशनल सोसायटी	37 हेक्टेयर	पूर्वी क्षेत्र
3.	लक्ष्मीबाई फाउंडेशन	0.40 हेक्टेयर	35 लाख रुपये
4.	मोहित बालविकास	3906 वर्ग मी०	पश्चिम और उत्तरी क्षेत्र
5.	सरस्वती एजुकेशन सोसायटी	0.150 एकड़	— —
6.	लाकपत एजुकेशन सोसायटी	8.4 हेक्टेयर	50 लाख रूपये + 30%
7.	महाशा चुन्नी लाल	0.4 हेक्टेयर	दक्षिणी क्षेत्र
8.	गोस्वामी विद्यापीठ	0.4 हेक्टेयर	80 लाख रुपये + 30%
9.	कमल एजुकेशन सोसायटी	1.3 एकड़	— —
10.	माउंट आबू एजुकेशन सोसायटी	0.755 हेक्टेयर	— —
11.	बाल सारभौमिक	800 वर्ग मी०	— —
12.	कौशल्या देवी मेमोरियल	1570 वर्ग मी०	— —
1997			
1.	सुयस	800 वर्ग मी०	— —
2.	दिल्ली पब्लिक स्कूल	1.6 हेक्टेयर	अस्थायी
3.	संत कबीर एजुकेशन सोसायटी	7090 वर्ग मी०	पूर्वी क्षेत्र
4.	डी० पी० एस०	4 एकड़	35 लाख + 69%
5.	सार्वजनिक सर्वोदय	1 एकड़	पश्चिम और उत्तर क्षेत्र
6.	प्रगति एजुकेशन सोसायटी	3.953 एकड़	50 लाख रुपये + 69%
7.	संत लारेंस	4 एकड़	दक्षिणी क्षेत्र
8.	गगन एजुकेशन सोसायटी	4 एकड़	80 लाख + 69%
9.	मयूर एजुकेशन सोसायटी	8.61 हेक्टेयर	
10.	गीता फाउंडेशन	800 वर्ग मी०	
11.	ग्रीगोरियन स्थोडेक्स	1.50 एकड़	
12.	परोपकारी एजुकेशन सोसायटी	800 वर्ग मी०	
13.	मयूर एजुकेशन सोसायटी	822.50 वर्ग मी०	

दिल्ली में सरकारी आवासों का किराये पर दिया जाना

3650. **श्री नागमणि:**
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान दिल्ली में सरकारी आवासों को किराये पर दिये जाने संबंधी कितने मामलों का पता चला है;

(ख) क्या अनेक सरकारी कर्मचारियों ने, जिनके पास उनके अपने परिवार के सदस्यों के नाम से मकान हैं, अपने नाम पर सरकारी आवास आबंटित करा लिया है;

(ग) यदि हां, क्या सरकार इन कर्मचारियों का आबंटन रद्द करने तथा जरूरतमंद व्यक्तियों को आवास देने पर विचार कर रही है; और

(घ) जिन व्यक्तियों ने अपने सरकारी आवास किराये पर दिये हैं, उनके विरूद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) सम्पदा निदेशालय के नियंत्रणाधीन सामान्य पूल क्वार्टरों की अचानक जांच के दौरान, गत तीन वर्षों में सबलेटिंग की संभावना वाले क्वार्टरों की संख्या 5175 है।

(ख) और (ग) सरकारी आवास (दिल्ली में सामान्य पूल) आबंटन नियमावली 1963 के प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी अधिकारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई आवास तैनाती स्थान अथवा समीपवर्ती नगर पालिका में है और यदि निजी आवास से उसकी किराए की आय क्रमशः 3000 रु० 5000 रु० प्रति माह से अधिक है तो लाइसेंस शुल्क का क्रमशः दुगुना/तिगुना भुगतान करने पर वह सरकारी आवास आबंटन का पात्र है।

(घ) आबंटन नियमावली/सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए संदिग्ध सबलेटिंग के सभी मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और जनवरी 1996 से दिसम्बर 1997 तक 1871 क्वार्टरों का आबंटन निरस्त कर दिया गया है और 710 क्वार्टर खाली कराए गए।

Handing over of DDA land to Private Developers

3651. SHRI GAYA SINGH:
SHRI JALALUDIN ANSARI:

Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to handover DDA land to private developers to be developed by them;

(b) if so, the details and the reasons therefor; and

(c) whether it is a fact that thousands of DDA employees are likely to become redundant following this decision of Government?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI) (a) No such decision has been taken.

(b) and (c) Do not arise.

Poor water supply in Kidwai Nagar

3652. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item appearing in the 'Hindustan Times' dated 1st May, 1998, under the heading "Water supplied to Kidwai Nagar highly infectious" and if so, the details thereof;

(b) what are the names of other colonies in Delhi, which have been affected; and

(c) the remedial steps Government have taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): (a) to (c) Yes, Sir. The news item has appeared in 'The Times of India' dated 1st May, 1998. Delhi Jal Board has not received any report/complaint of contamination of water from Kidwai Nagar and adjoining areas around 1st May, 1998. However, on the basis of Press reports the Board collected 16 water samples from Kidwai Nagar on May 1-2, 1998. All the samples were found bacteriologically satisfactory. 4 water samples collected from Masjid Moth, 4 water samples from South Extension & 2 samples from Safdarjung Hospital were also found to be satisfactory. In all 39 water samples were collected from these areas and AIIMS. It was found that 5 water samples collected from internal distribution system of AIIMS were bacteriologically unsatisfactory. The internal distribution system of water is maintained by AIIMS. The water samples collected at the inlet of the underground tank were found to have free residual chlorine at the level of 1.25 mg/ltr. which was found to be nil in the distribution network from the tank. The water being supplied by Delhi Jal Board in bulk to AIIMS is mixed with tubewell water by AIIMS. AIIMS has been advised to ensure that water being mixed by them in the underground tank,